सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 320 राँची, गुरुवार, 21 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 11 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

1 जून, 2026

संख्या- 03/नि0सं0-09-44/2014 का. 3558--श्री विनोद कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 855ए/03) के विरुद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि में सहयोगी के माध्यम से रिश्वत लेने संबंधी आरोपों हेतु निगरानी थाना काण्ड संख्या 34/2014, दिनांक 10.11.2014 दर्ज किया गया था, जिसमें विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश संख्या 33/जे०, दिनांक 21.05.2015 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विभागीय आदेश संख्या 6310, दिनांक 15.07.2015 द्वारा इन्हें हिरासत की अवधि तक के लिये तथा विभागीय आदेश संख्या 6915, दिनांक 31.07.2015 द्वारा हिरासत से मुक्त किये जाने की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया गया था ।

2. विभागीय आदेश सं० 1328, दिनांक 15.02.2016 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0 2884, दिनांक 13.12.2018 द्वारा उपरोक्त मामले में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. माननीय विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, हजारीबाग द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 34/14 से संबंधित विशेष वाद संख्या 45/ ए14 में दिनांक 20.10.2020 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार को आरोप मुक्त किया गया ।

4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं माननीय विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, हजारीबाग द्वारा विशेष वाद सं0-45/ए14 में दिनांक 20.10.2020 को पारित न्यायादेश के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0 12971 (HRMS) दिनांक 28.12.2020 द्वारा श्री कुमार को विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया गया तथा निलम्बन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्ते पर कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया गया ।

5. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में आदेश संख्या 6310, दिनांक 15.07.2015 द्वारा निलम्बित रहने एवं अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण श्री कुमार से संबंधित निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखने की अनुशंसा की गई ।

6. अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में विभागीय संकल्प संख्या 2884 दिनांक 13.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित रहने तथा निगरानी थाना कांड 34/2014 में आरोप पत्र समर्पित रहने के कारण श्री कुमार से संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखने की अनुशंसा की गई।

7. विभागीय संकल्प सं0 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी ।

8. अतएव उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0 6227, दिनांक 20.11.2008 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्री कुमार की प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 04.01.2016 एवं दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में संधारित मुहरबंद लिफाफा को खोला गया ।

-दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न बैठक की मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा निम्नवत है:-

"निलम्बन में रहने एवं अद्यतन सम्पत्ति विवरणी की अनुपलब्धता के कारण प्रोन्नति के अयोग्य"

-दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक की मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा निम्नवत है:-

"यथेष्ठ चारित्री तथा अद्यतन सम्पत्ति विवरणी अनुपलब्ध रहने के फलस्वरूप प्रोन्नति के अयोग्य"

9. विभागीय अधिसूचना संख्या 5437 दिनांक 09.09.2010 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक द्वारा उनके प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल में चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित पूर्ण विवरणी संवर्ग नियंत्री विभाग के प्रधान सचिव / सचिव को समर्पित किया जाना है ।

-विभागीय परिपत्र संख्या 2423 दिनांक 16.03.2015 के प्रावधान के अनुसार ससमय अपनी सम्पत्ति विवरणी निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते है, तो वैसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाए ।

10. दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय श्री कुमार का दिनांक 31.03.2014 तक का देय सम्पत्ति विवरणी प्राप्त नहीं था ।

11. विभागीय परिपत्र संख्या 3515 दिनांक 23.07.2020 में निर्धारित प्रावधानानुसार यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से किसी चार वर्षों की अभ्युक्तियाँ/प्रतिवेदन उपलब्ध हो तो इनका अवलोकन कर इसके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाएगा ।

12. दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय श्री कुमार का मात्र 44 माह (चार वर्ष से कम) का यथेष्ठ चारित्री तथा दिनांक 31.03.2011 से तीन वर्षों तक मान्य सम्पत्ति विवरणी ही प्राप्त था ।

13. अतएव दिनांक 04.01.2016 तथा दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में श्री विनोद कुमार को प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया गया ।

14. तदोपरांत दिनांक 09.01.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री विनोद कुमार के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 675 दिनांक 02.02.2023 द्वारा श्री कुमार को अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई ।

15. श्री कुमार द्वारा दिनांक 11.01.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु WP(S) No. 5049/2021 विनोद कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 10.07.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"10. In the case at hand, though the petitioner has been promoted vide notification dated 02.02.2023, but since he was debarred due to the sealed cover

procedure though he was fully under the consideration zone and he was fully exonerated both in the criminal and departmental proceeding; as such his promotion should be granted from the date when his junior and others were given promotion from the year 2016 i.e., 11.01.2016.

11. Having regard to the aforesaid discussions and the judgement referred to herein above, the instant application is allowed and the respondents are directed to calculate the date of promotion of this petitioner from 11.01.2016; the date on which his juniors/similarly situated persons were given promotion to the post of Additional Collector.

12. It goes without saying that the petitioner will get the notional benefit of seniority, but no financial implication will be borne by the State of Jharkhand. Accordingly, the consequential order shall be issued by the concerned respondent within a period of 12 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

13. As a result, the instant writ application stands disposed of in the manner indicated herein above. Pending I.A., if any also closed."

16. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No. 33/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विनोद कुमार दायर किया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है ।

17. WP(S) No. 5049/2021 में दिनांक 10.07.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. Case (Civil) No. 360/2025 विनोद कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 15.04.2026 को पारित न्यायादेश निम्नवत है :-

“By way of last indulgence, either to comply the order passed by the writ Court or produce the stay order, if any, failing which appropriate order shall be passed on the next date of hearing.

List this case on 08.06.2026.”

18. अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्री विनोद कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 855ए/03) से कनीय श्री चन्द्र भूषण सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 856/03) को विभागीय अधिसूचना संख्या 231 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

19. अतः WP(S) No. 5049/2021 में दिनांक 10.07.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (Civil) No. 360/2025 में दिनांक 15.04.2026 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में श्री विनोद कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 855ए/03) को अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 11.01.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

-झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में प्रदत्त वैचारिक प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ विभागीय अधिसूचना संख्या 675 दिनांक 02.02.2023 के आलोक में अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

-यह प्रोन्नति LPA No. 33/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विनोद कुमार में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम न्याय निर्णय/फलाफल से प्रभावित होगा ।

-यह अधिसूचना न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत है। अतः इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 320 - 50